भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3505

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

पंचायतों का क्षमता संवर्धन

†3505. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाल विकास संरक्षण और पुनर्वास के मुद्दों पर पंचायतों के क्षमता संवर्धन के लिए बजटीय आवंटनों का राज्य-वार और विशेषरूप से भुवनेश्वर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान वर्ष में अब तक उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018-19 से पुर्नगठित केन्द्रीय प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और मिशन अंत्योदय के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों और हितधारकों के क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण (सीबी&टी) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है, जिससे कि सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) जिसमें महिला एवं बाल विकास विषय सम्मिलित है को प्राप्त किया जा सके । बाल विकास संरक्षण और पुर्नवास के विषय पर पंचायतों के सीबी&टी के लिए आरजीएसए की योजना के अन्तर्गत अलग से कोई बजटीय आवंटन नही किया गया है, भुवनेश्वर के लिए भी यह प्रावधान है । अनुमोदित सीबी&टी घटक वाली राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार(यूटी) वार्षिक कार्य योजना (एएपी) और वर्ष के दौरान तथा 2019-20 के दौरान रिलीज निधि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में है। योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई पिछली किस्तों के उपयोग प्रमाण पत्र को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत करने पर ही आगामी क़िस्त राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाती है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 10.12.2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के भाग (क) और (ख) के लिए संदर्भित अनुबंध

(राशि करोड़ रूपए में.)

क्र.सं.	राज्य	2019-20		
		अनुमोदित एएपी **	सीबी&टी***	जारी निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1.5	0.216	0 *
2	आंध्र प्रदेश	154.72	109.13	0 *
3	अरुणाचल प्रदेश	46.58	16.38	39.59
4	असम	65.59	39.38	23.22
5	बिहार	126.3	80.05	0 *
6	छत्तीसगढ़	32.62	14.05	0 *
7	दादरा और नगर हवेली	2.38	0.98	0 *
8	दमन एवं दीव	0.89	0.55	0 *
9	गोवा	3.71	0.43	0 *
10	गुजरात	55.09	21.43	0 *
11	हरियाणा	69.64	15.82	0 *
12	हिमाचल प्रदेश	20.9	8.41	0 *
13	जम्मू एवं कश्मीर	67.14	26.42	2.77
14	झारखंड	34.62	10.92	0 *
15	कर्नाटक	52.31	41.83	0 *
16	केरल	50.68	37.84	0 *
18	मध्य प्रदेश	227.65	157.88	85.48

19	महाराष्ट्र	142.89	46.71	8.43
20	मणिपुर	10.09	4.63	4.54
21	मेघालय	15.02	10.38	2.63
22	मिजोरम	7.34	2.79	0.503
23	नागालैंड	8.87	5.25	0 *
24	ओडिशा	28.55	19.32	0 *
25	पुडुचेरी	2.82	0.77	0 *
26	पंजाब	91.12	3.64	0 *
27	राजस्थान	74.97	10.41	0 *
28	सिक्किम	9.32	5.36	1.25
29	तमिलनाडु	158.65	80.7	0 *
30	तेलंगाना	175.18	31.05	0 *
31	त्रिपुरा	12.2	6.97	0 *
32	उत्तराखंड	57.21	15	23.79
32	उत्तर प्रदेश	416.92	66.45	169.92
33	पश्चिम बंगाल	94.18	83.49	44.1
	कुल	**2317.65**	**974.636**	**406.22**

* राज्यों के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि के कारण कोई निधि जारी नहीं की जा सकी।

**वार्षिक कार्य योजना

***क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण